

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, —

(i) खंड (14) में, अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “संपत्ति” के अंतर्गत भारतीय कंपनी में या उसके संबंध में कोई अधिकार, जिनके अंतर्गत प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार या किसी भी प्रकार कोई अन्य अधिकार सम्मिलित हैं और सदैव से सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे ;’

(ii) खंड (16) में, “या आयुक्त” शब्दों के पश्चात्, “या आय-कर निदेशक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) खंड (19कक) के उपखंड (iv) में, “आनुपातिक आधार पर” शब्दों के स्थान पर, “उस दशा के सिवाय, जहां परिणामी कंपनी स्वयं निर्विलीन कंपनी की एक शेयर धारक है, आनुपातिक आधार पर” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(iv) खंड (47) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार 45

संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “अंतरण” के अंतर्गत किसी करार द्वारा (चाहे वह भारत में किया गया हो या भारत के बाहर) या अन्यथा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, आत्यंतिक रूप से या सशर्त, स्वैच्छिक रूप से या अस्वैच्छिक रूप से, किसी आस्ति या उसमें के किसी हित का व्ययन या प्रभाजन या किसी आस्ति में चाहे किसी भी रीति में किसी हित का सृजन, इस बात के होते हुए भी सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा कि अधिकारों के ऐसे अंतरण को इस रूप में वर्णित किया गया है कि वे भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी के शेयर या शेयरों का अंतरण करके किए गए हैं या उस पर निर्भर हैं या उसके कारण अधिक मात्रा में हो गए हैं ; ’।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,—

धारा 9 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 4—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “के द्वारा” पद से, “के साधनों द्वारा”, “के परिणामस्वरूप” या “के कारण” अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सदैव से अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में की किसी आस्ति या पूंजी आस्ति, जो कोई शेयर या हित है, के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि वह शेयर या हित अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न कर लेता है ।’;

(ख) खंड (vi) में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1976 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 4—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अंतरण के अंतर्गत उपयोग संबंधी सभी या किसी अधिकार या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अधिकार का अंतरण, उस माध्यम को विचार में लिए बिना जिसके माध्यम से ऐसा अधिकार अंतरित किया जाता है, सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामित्व के अंतर्गत किसी ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत प्रतिफल सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है, चाहे—

(क) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का कब्जे या नियंत्रण संदायकर्ता के पास है या नहीं ;

(ख) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का संदायकर्ता द्वारा प्रत्यक्षतया प्रयोग किया जाता है या नहीं ;

(ग) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का अवस्थान भारत में है या नहीं।

स्पष्टीकरण 6—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “प्रक्रिया” पद के अंतर्गत सेटलाइट (जिसके अंतर्गत किसी सिगनल की डाउनलिकिंग के लिए अप-लिकिंग, प्रवर्धन, संपरिवर्तन भी है), केबल, ऑप्टिक फाइबर द्वारा या किसी अन्य वैसी ही प्रौद्योगिकी द्वारा, पारेषण सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गोपनीय हो या नहीं ; ’।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (10घ) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) उपखंड (ग) में,—

(I) “1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 31 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) “किसी राशि से:” शब्दों के स्थान पर, “किसी राशि से ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ग) के पश्चात् और पहले परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी ऐसी बीमा पालिसी के अधीन, जिसकी बाबत पालिसी की अवधि के दौरान किन्हीं वर्षों के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक है, प्राप्त कोई राशि :”;

(iii) पहले परंतुक में, “इस उपखंड” शब्दों के स्थान पर, “उपखंड (ग) और उपखंड (घ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, “इस उपखंड” शब्दों के स्थान पर, “उपखंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(v) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5

‘स्पष्टीकरण 2—उपखंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, “वास्तविक बीमा पूंजी राशि” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 80ग की उपधारा (3क) के स्पष्टीकरण में उसका है ;’;

(ख) खंड (23ग) में, सोलहवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था की आय को पूर्ववर्ष की उसकी कुल 10 आय में सम्मिलित किया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था को उक्त पूर्ववर्ष में लागू हो जाते हैं, चाहे ऐसे न्यास या संस्था की बाबत किया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया हो या नहीं अथवा जारी की गई अधिसूचना विखंडित की गई हो या नहीं ;”;

(ग) खंड (23घ) में, स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :— 15

‘(ग) “जोखिम पूंजी उपक्रम” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है ;’;

1992 का 15

(घ) खंड (47) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(48) भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के विक्रय मद्दे किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय करेंसी में भारत 20 में प्राप्त कोई आय :

परंतु—

(i) विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ऐसी आय की प्राप्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या ठहराव के अनुसरण में हुई है ;

(ii) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी और करार या ठहराव केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त 25 अधिसूचित किए गए हैं ; और

(iii) विदेशी कंपनी भारत में ऐसी आय की प्राप्ति से भिन्न किसी क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है ।’।

धारा 13 का संशोधन। 6. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(8) धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे ऐसे व्यक्ति की पूर्ववर्ष 30 की कुल आय में से ऐसी कोई आय, जो उसने प्राप्त की है, अपवर्जित हो जाए, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध उक्त पूर्ववर्ष में उस व्यक्ति के मामले में लागू हो जाते हैं ।’।

धारा 32 का संशोधन। 7. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) में, “कारबार में” शब्दों के पश्चात्, “या विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में” शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन। 8. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2क) के खंड (5) में, “31 मार्च, 2012” अंकों और शब्द के स्थान 35 पर, “31 मार्च, 2017” अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 35कघ का संशोधन। 9. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) जहां विनिर्दिष्ट कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (v) या उपखंड (vii) या उपखंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है और उसने 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् अपने 40 प्रचालनों को प्रारंभ किया है, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती उसमें निर्दिष्ट व्यय के डेढ़ गुना के बराबर रकम की अनुज्ञात की जाएगी ।’;

(ख) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(अ) खंड (कड) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (कड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

1962 का 52

“(कच) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन की प्रकृति का है ;

5 (कछ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम के उत्पादन की प्रकृति का है ;

(कज) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन की प्रकृति का है ; और”;

10 (इ) खंड (ख) में, “खंड (क), खंड (कक), खंड (कख) और खंड (कग)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “उपरोक्त खंडों में से किसी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

15 “(6क) जहां निर्धारिती केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के किसी होटल का निर्माण करता है और बाद में, होटल का स्वामी रहते हुए, उसका प्रचालन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार करने वाला समझा जाएगा”;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

1962 का 52

20 “(ix) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन ;

(x) मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम का उत्पादन ;

(xi) चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन ;”।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 35गगग और धारा 35गगघ का अंतःस्थापन।

25 “35गगग. (1) जहां कोई निर्धारिती बोर्ड द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना संबंधी कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

कृषि विस्तार परियोजना संबंधी व्यय।

30 (2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

35 35गगघ. (1) जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किसी कौशल विकास परियोजना संबंधी कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।”।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40 में, खंड (क) के उपखंड (ik) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, धारा 40 का संशोधन। निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

40 “परंतु यह और कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ।”।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 40क का संशोधन।

45 (i) खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संयवहार की बाबत किसी ऐसे व्यय मद्दे, जो उचित बाजार

मूल्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है, मोक को नामंजूर नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा संव्यवहार धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत पर है।”;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (iv) में, “कोई नातेदार” शब्दों के पश्चात्, “अथवा कारबार या वृत्ति में लगी हुई ऐसी कोई अन्य कंपनी, जिसमें प्रथमवर्णित कंपनी का पर्याप्त हित है ;” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 44कख का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,—

5

(i) खंड (क) में, “साठ लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, “पन्द्रह लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस लाख रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, “निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

10

धारा 44कघ का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ में,—

(क) उपधारा (5) के पश्चात्, और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(6) इस धारा के उपबंध, पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 44कक की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट वृत्ति करने वाले किसी व्यक्ति ;

15

(ii) कमीशन या दलाली की प्रकृति की आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति ; या

(iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति,

को लागू नहीं होंगे।”;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “साठ लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

20

धारा 47 का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (vii) के उपखंड (क) में, “समामेलित कंपनी में” शब्दों के स्थान पर, “समामेलित कंपनी में, उस दशा के सिवाय, जहां शेयर धारक स्वयं सामामेलित कंपनी है,” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में, खंड (iii) के उपखंड (ड़) में, “धारा 47 के खंड (xiiiख)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1999 से रखे गए समझे जाएंगे।

25

नई धारा 50घ का अंतःस्थापन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उचित बाजार मूल्य को कतिपय मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना।

“50घ. जहां किसी निर्धारिती द्वारा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला प्रतिफल अभिनिश्चय नहीं है या अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां पूंजी अभिलाभों के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अंतरण की तारीख को उक्त आस्ति के उचित बाजार मूल्य को ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।”।

30

धारा 54ख का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 54ख की उपधारा (1) में, “निर्धारिती द्वारा उसके माता-पिता द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारिती द्वारा, जो व्यक्ति है, या उसके माता-पिता द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

35

नई धारा 54छख का अंतःस्थापन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 54छक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभासित न किया जाना।

“54छख. (1) जहां,—

(i) पूंजी अभिलाभ पात्र निर्धारिती के (जिसे इसमें निर्धारिती कहा गया है) स्वामित्वाधीन किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो आवासिक संपत्ति (कोई गृह या भूखंड) है, अंतरण से उद्भूत होता है ; और

40

(ii) निर्धारिती ने, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पूर्व, शुद्ध प्रतिफल का किसी पात्र कंपनी के (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए उपयोग किया है ; और

(iii) कंपनी ने, निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस रकम का उपयोग नई आस्ति के क्रय के लिए किया है,

45

वहां पूंजी अभिलाभ को, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण किया जाता है, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित किए जाने के बजाय इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार बरता जाएगा, अर्थात् :—

5 (क) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति के शुद्ध प्रतिफल से है, पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ; या

(ख) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

10 (2) शुद्ध प्रतिफल की रकम, जो कंपनी द्वारा निर्धारिती को शेयरों के पुरोधरण के लिए प्राप्त की गई है, उस सीमा तक जिस तक उसका धारा 139 के अधीन निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा उक्त नियत तारीख के पूर्व ऐसे किसी बैंक या संस्था के, जो विनिर्दिष्ट की जाए, खाते में जमा की जाएगी और ऐसी किसी स्कीम के अनुसार उपयोग की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विरचित करे और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी के साथ ऐसे जमा किए जाने का सबूत संलग्न किया जाएगा ।

15 (3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नई आस्ति के क्रय के संबंध में कंपनी द्वारा पहले से उपयोग की गई रकम, यदि कोई हो, और उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम को एक साथ नई आस्ति की लागत के रूप में समझा जाएगा :

परंतु यदि इस प्रकार जमा की गई रकम का पूर्णतः या भागतः उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है तो—

(i) वह रकम, जिससे—

20 (क) आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) में यथा उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है,

उस रकम से अधिक है,

(ख) जो इस प्रकार प्रभारित नहीं की गई होती, यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए वस्तुतः उपयोग की गई रकम नई आस्ति की लागत होती,

25 उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, निर्धारिती की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित की जाएगी ; और

(ii) कंपनी स्कीम के अनुसार उस रकम को वापस लेने की हकदार होगी ।

30 (4) यदि कंपनी के साधारण शेयरों या कंपनी द्वारा अर्जित की गई नई आस्ति को उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, तो आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) में उपबंधित रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या कंपनी के पास शेयरों या नई आस्ति के अंतरण मद्दे उद्भूत होने वाले अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों या ऐसी नई आस्ति को विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(5) इस धारा के उपबंध 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासिक संपत्ति के किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

35 (क) “पात्र निर्धारिती” से कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है ;

(ख) “पात्र कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है, सुसंगत पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल से निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक की अवधि के दौरान भारत में निगमित कंपनी है ;

40 (ii) यह किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण के कारबार में लगी हुई है ;

(iii) यह ऐसी कंपनी है, जिसमें निर्धारिती की पचास प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या निर्धारिती द्वारा शेयरों में अभिदाय के पश्चात् पचास प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार है ; और

(iv) यह ऐसी कोई कंपनी है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अधीन लघु या मध्यम उद्यम होने के लिए अर्हित है ;

45 (ग) “शुद्ध प्रतिफल” का वही अर्थ होगा, जो धारा 54च के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(घ) “नई आस्ति” से नया संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(i) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था ;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासिक वास सुविधा में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है, संस्थापित की गई कोई मशीनरी या संयंत्र ;

5

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर भी हैं ;

(iv) कोई यान ; या

(v) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष की “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।’।

10

धारा 55क का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 55क के खंड (क) में, “दावा किया गया मूल्य, उसके उचित बाजार मूल्य से कम है;” शब्दों के स्थान पर, “दावा किए गए मूल्य और उसके उचित बाजार मूल्य में अंतर है;” शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे।

धारा 56 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (vii) में, स्पष्टीकरण के खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अक्टूबर, 2009 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

15

‘(ड) “नातेदार” से,—

(i) किसी व्यक्ति की दशा में—

(अ) व्यक्ति की पत्नी या पति ;

(आ) व्यक्ति का भाई या बहन ;

(इ) व्यक्ति की पत्नी या पति का भाई या बहन ;

20

(ई) व्यक्ति के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन ;

(उ) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(ऊ) व्यक्ति की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(ए) मद (आ) से (ऊ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पत्नी या पति; और

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, उसका कोई सदस्य,

25

अभिप्रेत है ;’;

(आ) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है :

30

परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि से जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) शेयरों का उचित बाजार मूल्य, वह मूल्य होगा—

35

(i) जैसा उस पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाए ; या

(ii) जैसा कंपनी द्वारा शेयरों के पुरोधरण की तारीख को अपनी आस्तियों के, जिनके अंतर्गत अमूर्त आस्तियां भी हैं, जो गुडविल, व्यवहार्य ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकार हैं, मूल्य के आधार पर, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में सिद्ध किया जाए,

40

इनमें से जो भी उच्चतर हो ;

(ख) “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “जोखिम पूंजी उपक्रम” के वही अर्थ होंगे जो धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमशः उनके हैं ;’।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 68 में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, धारा 68 का संशोधन।
अर्थात्:—

“परंतु जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती-कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक,—

(क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमा राशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है ; और

10 (ख) ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है ।”।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड धारा 80क का संशोधन ।
15 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) विक्रीत, प्रदत्त या अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित ऐसे माल या सेवाओं की असन्निकट कीमत अभिप्रेत है, यदि वह धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है ।”।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 80ग का संशोधन ।

20 (i) उपधारा (3) में, “किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी” शब्दों के स्थान पर, “31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(3क) उपधारा (2) के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न बीमा पालिसी के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय के प्रति केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में “वास्तविक बीमा पूंजी राशि” से पालिसी की अवधि के दौरान,—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य को ; या

30 (ii) वास्तविक बीमा राशि से अधिक के बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जाए,

हिसाब में न लेते हुए, किसी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पालिसी के अधीन न्यूनतम बीमा रकम अभिप्रेत होगी।”।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 80घ का संशोधन ।

35 (क) उपधारा (1) में, “नकद से भिन्न” शब्दों के स्थान पर, “उपधारा (2ख) में यथाविनिर्दिष्ट” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (क) में, “कोई अभिदाय” शब्दों के पश्चात्, “या निर्धारिती या उसके कुटुंब की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

40 (आ) खंड (ख) में, “संदत्त संपूर्ण रकम” शब्दों के पश्चात्, “या निर्धारिती के माता-पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

““(2क) जहां उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों को निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किया जाता है, वहां ऐसी रकमों के लिए कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जहां तक वह कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक न हो ।

(2ख) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए संदाय,—

(i) निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत किसी भी ढंग, जिसमें नकद भी है, से किया जाएगा;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में, नकद से भिन्न किसी भी ढंग से किया जाएगा।”;

(घ) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में, “पैंसठ वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “साठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 80घघख का संशोधन। 26. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, “पैंसठ वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “साठ वर्ष” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे। 5

धारा 80छ का संशोधन। 27. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5घ) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि के दान की बाबत कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाता है।”। 10

धारा 80छछक का संशोधन। 28. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाता है।”।

धारा 80झक का संशोधन। 29. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में, 1 अप्रैल, 2013 से,— 15

(क) उपधारा (4) के खंड (iv) में, “31 मार्च, 2012” अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “31 मार्च, 2013” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या किन्हीं सेवाओं के संबंध में, “बाजार मूल्य” से, अभिप्रेत है,— 20

(i) ऐसी कीमत, जो ऐसे माल या सेवाओं के लिए खुले बाजार में साधारणतया प्राप्त होगी ; या

(ii) धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत, जहां ऐसे माल या सेवाओं का अंतरण धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है।”;

(ग) उपधारा (10) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभों की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।”। 25

नए भाग का अंतःस्थापन। 30. आय-कर अधिनियम के अध्याय 6क में, भाग ग के पश्चात्, निम्नलिखित भाग 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘गक—अन्य आय की बाबत कटौतियां 30

बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती। 80ननक. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, सकल कुल आय में,—

(क) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; 1949 का 10

(ख) बैंककारी का कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) ; या 35

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित किसी डाकघर में, 1898 का 6
बचत खाते में निक्षेपों पर (जो सावधिक निक्षेप नहीं हैं) ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे मामले में, जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है, संपूर्ण ऐसी रकम; और 40

(ii) किसी अन्य मामले में, दस हजार रुपए।

(2) जहां इस धारा में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां इस धारा के अधीन फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी

सदस्य या निकाय के किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “सावधिक निक्षेप” से नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप अभिप्रेत है।

5 **31. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में,—**

धारा 90 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों।”;

10 (ख) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।”;

15 (ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्टूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

20 **“स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और तदधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था।”

32. आय-कर अधिनियम की धारा 90क में,—

धारा 90क का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

25 “(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों।”;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

30 “(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके द्वारा उसके, भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।”;

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

35 **“स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और तदधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था।”

33. आय-कर अधिनियम की धारा 92 में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 92 का संशोधन।

40 (क) उपधारा (2) में, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में व्यय या ब्याज या किसी लागत या खर्च या किसी आय के आबंटन के लिए किसी मोक की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।”;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

5

(iii) “उस उपधारा” शब्दों के स्थान पर “उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् “या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 92ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) मूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भवन, परिवहन यान, मशीनरी, उपस्कर, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य सामान, उत्पाद या चीज भी है, क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग ;

15

(ख) अमूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग, प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज, ग्राहक सूची, विपणन चैनल, ब्रांड, वाणिज्यिक गुप्त बात, व्यवहार्य ज्ञान, औद्योगिक संपत्ति अधिकार, बाह्य डिजाइन या व्यवहार्य तथा नए डिजाइन से संबंधित अधिकारों या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकारों के उपयोग के स्वामित्व का उपबंध का अंतरण भी है, क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग ;

20

(ग) पूंजीगत वित्तपोषण, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का दीर्घकालिक या अल्पकालिक उधार लेना, ब्याज पर उधार देना या प्रत्याभूति, विपणनयोग्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय या कारबार के दौरान उद्भूत किसी प्रकार का अग्रिम, संदाय या आस्थगित संदाय या प्राप्य राशियां या कोई अन्य ऋण भी है ;

(घ) सेवाओं का उपबंध, जिसके अंतर्गत बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, विपणन प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी सेवा, मरम्मत, डिजाइन, परामर्श, अभिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, विधिक और लेखांकन संबंधी सेवा भी है ;

25

(ङ) किसी उद्यम द्वारा किसी सहयोजित उद्यम के साथ, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि इसका संव्यवहार के समय या किसी भावी तारीख को ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानियों या आस्तियों पर प्रभाव है, पुनर्संरचना या पुनर्गठन कारबार का संव्यवहार है ;

(ii) “अमूर्त संपत्ति” पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) विपणन संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे व्यापार-चिह्न, व्यापार नाम, ब्रांड नाम, लोगो ;

30

(ख) प्रौद्योगिकी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रक्रिया पेटेंट, पेटेंट आवेदन, तकनीकी दस्तावेजीकरण, जैसे प्रयोगशाला नोट बुक, तकनीकी व्यवहार्य-ज्ञान;

(ग) कला संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे साहित्यिक कृतियां और प्रतिलिप्यधिकार, संगीतात्मक रचनाएं, प्रतिलिप्यधिकार, नक्शे, उत्कीर्णन ;

(घ) डाटा प्रसंस्करण संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे सांपत्तिक कम्प्यूटर साफ्टवेयर, साफ्टवेयर प्रतिलिप्यधिकार, स्वचालित डाटाबेस और एकीकृत सर्किट मास्क्स और मास्टर्स ;

35

(ङ) इंजीनियरी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे औद्योगिक डिजाइन, उत्पाद पेटेंट, व्यापार संबंधी गुप्त बातें, इंजीनियरी ड्राइंग और उसके सदृश, रूपरेखा, सांपत्तिक दस्तावेजीकरण ;

(च) ग्राहक संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे ग्राहक सूची, ग्राहक संविदाएं, ग्राहक संबंध, खुले क्रयादेश ;

(छ) संविदा संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे अनुकूल प्रदायकर्ता, संविदाएं, अनुज्ञप्ति करार, फ्रेंचाइज करार, गैर-प्रतियोगी करार ;

40

(ज) मानव पूंजी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रशिक्षित और संगठित कार्यदल, नियोजन करार, संघीय संविदाएं;

(झ) अवस्थिति संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे पट्टाधृत हित, खनिज विदोहन अधिकार, सुखाचार, वायु संबंधी अधिकार, जल संबंधी अधिकार ;

(ज) गुडविल संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे संस्थागत गुडविल, वृत्तिक व्यवसाय गुडविल, वृत्तिक की व्यक्तिगत गुडविल, प्रसिद्ध व्यक्ति की गुडविल, साधारण कारबार वाले समुत्थान का मूल्य ;

(ट) पद्धतियां, कार्यक्रम, प्रणालियां, प्रक्रियाएं, अभियान, सर्वेक्षण, अध्ययन, पूर्वानुमान, प्राक्कलन, ग्राहक सूची या तकनीकी डाटा ;

5 (ठ) कोई अन्य वैसी ही मद, जो अपने भौतिक गुणों की अपेक्षा अपनी बौद्धिक अंतर्वस्तु से अपना मूल्य उपगत करती है ।’।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 92खक का अंतःस्थापन।
अर्थात् :—

10 ‘92खक. इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ड के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती की विनिर्दिष्ट देशी दशा में, “विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” से, निम्नलिखित ऐसे संव्यवहारों में से कोई संव्यवहार, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार न हो, अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसा कोई व्यय, जिसकी बाबत धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदाय किया गया है या किया जाना है ;

(ii) धारा 80क में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार ;

15 (iii) धारा 80झक की उपधारा (8) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का कोई अंतरण ;

(iv) धारा 80झक की उपधारा (10) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई कारबार;

(v) अध्याय 6क के अधीन किसी अन्य धारा या धारा 10कक में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार, जिसे धारा 80झक की उपधारा (8) या उपधारा (10) के उपबंध लागू होते हैं ; या

20 (vi) कोई अन्य संव्यवहार, जो विहित किया जाए,

और जहां निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किए गए ऐसे संव्यवहारों की कुल राशि पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है।’।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग में,—

धारा 92ग का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

25 (i) दूसरे परंतुक में, “बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है” शब्दों के स्थान पर, “बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से, जो अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्टूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

30 “स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरे परंतुक के उपबंध 1 अक्टूबर, 2009 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित सभी निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों को भी लागू होंगे ।”;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

2009 का 33

35 “(2क) जहां उपधारा (2) का पहला परंतुक, जैसे वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान था, किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत लागू होता है और उक्त परंतुक में निर्दिष्ट अंकगणितीय औसत और उस कीमत के बीच, जिस पर ऐसा संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, का अंतर अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अधिक होता है, तो निर्धारिती उक्त परंतुक में यथानिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।”;

40 (ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2ख) उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 अक्टूबर, 2009 के पूर्व पूरी हो गई हैं, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।”।

अध्याय 10 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 की धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ड में, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

धारा 92गक का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(2ख) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत, निर्धारिती ने धारा 92ड के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और ऐसा संव्यवहार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है।”;

10 2009 का 33

(ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित उपधारा (2ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2ग) उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 जुलाई, 2012 के पूर्व पूरी हो चुकी हों, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी।”।

नई धारा 92गग और धारा 92गघ का अंतःस्थापन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 92गख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

20

अग्रिम मूल्यांकन करार।

‘92गग. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत को अवधारित करते हुए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना होगा, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति के साथ कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति के अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जो इस प्रकार करने आवश्यक या समीचीन हों या कोई अन्य पद्धति हो सकेगी।

(3) धारा 92ग या धारा 92गक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, असन्निकट कीमत, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमन्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार—

(क) उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और जिसके संबंध में ऐसे संव्यवहार की बाबत, करार किया गया है ; और

(ख) उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार की बाबत, आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर, आबद्धकर होगा।

35

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा यदि इस प्रकार किए गए करार से संबंधित विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन हो जाता है।

(7) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि करार उस व्यक्ति द्वारा कपट से या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है।

(8) करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर,—

40

(क) अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो करार कभी किया ही नहीं गया था; और

(ख) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम का है तो ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन तक किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

(9) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक स्कीम, उसमें सामान्यतः अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा ।

(10) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाहियां उस व्यक्ति की दशा में लंबित समझी जाएंगी ।

92गघ. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने कोई करार किया है और करार करने की तारीख के पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, धारा 139 के उपबंधों के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति उस मास के, जिसमें उक्त करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर करार के अनुसार और उस तक सीमित एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभावी रूप देना।

(2) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी है ।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसे करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरी हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल की जाती है, करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसको करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल करने की तारीख को लंबित हैं, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत की गई उपांतरित विवरणी पर विचार करते हुए करार के अनुसार निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(5) धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उपधारा (3) के अधीन कुल आय के निर्धारण, पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की जाती है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में यथाउपबंधित परिसीमा काल को बारह मास की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “करार” से धारा 92गग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार अभिप्रेत है ;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उस दशा में पूरी हो गई समझी जाएंगी, जहां—

(क) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ख) उक्त धारा के अधीन उपबंधित परिसीमा काल की समाप्ति तक धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गई है ।’।

40. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

नए अध्याय 10क का अंतःस्थापन ।

‘अध्याय 10क

40

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

95. अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधी परिणाम का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम का लागू होना ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के उपबंध ठहराव या उसके किसी भाग को करने के किसी भी उपाय को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के संबंध में लागू होते हैं।

96. (1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन या मुख्य प्रयोजनों में एक प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है और,—

(क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट संबद्ध व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या 5 दुरुपयोग होता है ;

(ग) इसमें धारा 97 के अधीन, संपूर्णतः या भागतः, वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ; या

(घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जो सामान्यतया सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपनाई नहीं जाती है । 10

(2) ऐसे ठहराव के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) होता है, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, जब तक कर फायदा अभिप्राप्त करने वाला व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि उस ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं था ।

(3) ऐसे ठहराव के बारे में इस तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने 15 का नहीं है, यह उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव या उसके किसी भाग को करने का किसी भी उपाय का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है ।

97. (1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि—

(क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या 20 उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या

(ख) उसमें निम्नलिखित सम्मिलित या उसके अंतर्गत हैं—

(i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ;

(ii) कोई अनुकूलक पक्षकार ;

(iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजराई करने या रद्द करने का है ; या 25

(iv) ऐसा संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ऐसी निधियों के, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु हैं, मूल्य, अवस्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में भ्रम होता है ; या

(ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या किसी संव्यवहार का अवस्थान या किसी पक्षकार का निवास-स्थान अंतर्वलित है, जो किसी पक्षकार के लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) भिन्न किसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार अवस्थित नहीं किया गया होता । 30

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—

(अ) इस बात पर कि क्या राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;

(आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं; या

(इ) उस साधन, जिसके द्वारा या रीति पर, जिसमें या ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में 35 अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं,

कोई ध्यान दिए बिना, संव्यवहारों की शृंखला द्वारा—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न (इस अध्याय के उपबंधों के लागू न होने पर भी) कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है । 40

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ठहराव का कोई पक्षकार अनुकूलक पक्षकार होगा, यदि संपूर्ण ठहराव या उसके भाग में उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के लागू न होने पर भी) अभिप्राप्त करने का है, चाहे पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं ।

(4) यह अवधारित करते समय कि क्या किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व है या नहीं, निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :—

(i) वह अवधि या समय, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें प्रचालन भी हैं) विद्यमान रहता है ;

(ii) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करों के संदाय का तथ्य ;

5 (iii) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार या प्रचालनों का अंतरण भी है) उपलब्ध कराया जाता है ।

98. (1) यदि किसी ठहराव को कोई अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जाता है तो ठहराव के कर संबंधी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव का परिणाम । परिणामों का, जिनके अंतर्गत किसी कर संधि के अधीन कर फायदे या किसी फायदे से इंकार किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जैसी मामले की उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाती है, तथा निम्नलिखित के रूप में किन्तु जो उन तक सीमित न हो, अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भागतः या संपूर्णतः अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुनःविशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा क्रियान्वित ही नहीं किया गया था ;

15 (ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण की अवधारणा करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच—

(i) किसी पूंजीगत या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति ; या

20 (ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट,

का पुनःविनिधान करना ;

(च) (i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास-स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

25 ठहराव के अधीन यथाउपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न स्थान मानना ; या

(छ) किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके किसी ठहराव पर विचार करना या उस पर ध्यान देना ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्यय माना जा सकेगा ;

(ii) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का या उसके विपर्यय माना जा सकेगा ; या

30 (iii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुनःविशेषित किया जा सकेगा ।

99. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यह अवधारित करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

(i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध पक्षकार हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

(ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;

(iii) ऐसे अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

35 (iv) ठहराव पर किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके विचार किया जा सकेगा या उस पर ध्यान दिया जा सकेगा।

100. इस अध्याय के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर लागू किए जाएंगे ।

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार।

अध्याय का लागू होना ।

101. इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लागू किया जाएगा ।

मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना ।

40 102. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(1) “ठहराव” से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध

में कोई उपाय अभिप्रेत है, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्यसंक्रामण भी है ;

(2) “आस्ति” के अंतर्गत किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार है ;

(3) किसी व्यक्ति के संबंध में “सहयोजित व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि व्यक्ति कोई व्यक्ति है ;

5

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

(ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय है तो ऐसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य या ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

10

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यक्ति का कोई नातेदार;

(च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

15

(ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

20

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(4) “फायदे” के अंतर्गत किसी प्रकार का, चाहे मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में, कोई संदाय भी है ;

25

(5) “संबद्ध व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और इसके अंतर्गत सहयोजित व्यक्ति भी है ;

(6) “निधि” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) कोई नकद ;

(ख) नकद के समतुल्य ; और

30

(ग) नकद या नकद के समतुल्य प्राप्त करने या उसका संदाय करने का कोई अधिकार या बाध्यता ;

(7) “पक्षकार” से कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसा स्थायी स्थापन भी है, अभिप्रेत है, जो किसी ठहराव में हिस्सा या भाग लेता है ;

(8) “नातेदार” का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(9) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका “कारबार में सारवान् हित” है, यदि—

35

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, बीस प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का फायदाग्राही स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के बीस प्रतिशत या अधिक का फायदाप्रद रूप से हकदार है ;

(10) “उपाय” के अंतर्गत कोई उपाय या कोई कार्रवाई, विशिष्टतया ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की पुष्टि से की गई कोई श्रृंखला कार्रवाई भी है ;

40

(11) “कर फायदे” से सुसंगत पूर्ववर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष में—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई वृद्धि ; या

(ग) कर या अन्य रकम में कमी या परिवर्जन या आस्थगन, जो किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन संदेय होती ; या

(घ) कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई वृद्धि ; या

5 (ङ) कुल आय में कमी, जिसके अंतर्गत हानि में वृद्धि भी है,

अभिप्रेत है;

(12) “कर संधि” से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है;’।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के परंतुक में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पन्द्रह 10 प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 111क का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

धारा 115क का संशोधन।

(क) उपखंड (ii) में “खंड (iiक)” शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “उपखंड (iiक) या उपखंड (iiकक)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15 “(iiकक) धारा 194उग में निर्दिष्ट प्रकृति का और सीमा तक ब्याज ; या”;

(ग) मद (आअ) में, “उपखंड (iiक)” शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, “या उपखंड (iiकक)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) मद (ई) में, “उपखंड (iiक)” शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, “, उपखंड (iiकक)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

20 43. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 115खखक का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में, “; या” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, और “वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर” शब्दों से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

25 “(ग) जो ऐसा मनोरंजनकर्ता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में उस रूप में किए गए उसके व्यक्तिगत क्रियाकलापों से प्राप्त या प्राप्य कोई आय सम्मिलित है,”;

(iii) “खंड (क) या खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

30 (iv) “वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:—” शब्दों के पश्चात्, खंड (i) में “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, “खंड (क) या खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, “1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 115खखघ का संशोधन।

35 45. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 115खखघ का अंतःस्थापन।

“115खखड. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर,—

धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर।

40 (क) धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर तीस प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम, जिसके लिए निर्धारिती उस दशा में प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक की बाबत निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”।

धारा 115जख का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) “प्रत्येक निर्धारिती” शब्दों से आरंभ होने वाले और “लेखा तैयार करेगा :” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के 5 स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रत्येक निर्धारिती,—

(क) जो खंड (ख) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ; या

1956 का 1

10

(ख) जो ऐसी कंपनी है, जिसको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक लागू होता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ;”;

1956 का 1

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (झ) के पश्चात् “यदि खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित घटा दिए गए हैं,—” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर 15 निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ज) ऐसी आस्ति के पूर्व भुगतान या व्ययन पर पुनर्मूल्यांकित आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा रकम,

यदि खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है या यदि खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखे में जमा नहीं की जाती है और उनमें से निम्नलिखित घटा दिए गए,—”।

20

अध्याय 12खक का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के शीर्ष में, “कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों” शब्दों के स्थान पर, “कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों” शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

धारा 115जग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध।

“115जग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष 25 के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समायोजित कुल आय, इस अध्याय को प्रभावी रूप देने के पूर्व,—

(i) “ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन 30 (धारा 80त से भिन्न) दावा की गई कटौतियों से, यदि कोई हों ; और

(ii) धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों से, यदि कोई हों,

बढ़ाकर आई कुल आय होगी।

(3) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित करते हुए कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक 35 रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”।

धारा 115जघ का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ की उपधारा (1) में, “किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति द्वारा” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

धारा 115जड का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115जड में, “किसी सीमित दायित्व भागीदारी” शब्दों के स्थान पर “किसी व्यक्ति”, 40 शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे।

नई धारा 115जडड का अंतःस्थापन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115जड के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इस अध्याय का कतिपय व्यक्तियों को लागू होना।

“115जडड.(1) इस अध्याय के उपबंध, ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे, जिसने—

(क) “ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन 45 (धारा 80त के अधीन के सिवाय); या

(ख) धारा 10कक के अधीन,

किसी कटौती का दावा किया है।

(2) इस अध्याय के उपबंध किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति को उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।”।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115जच में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

धारा 115जच का संशोधन।

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, “किसी सीमित दायित्व भागीदारी” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के खंड (i) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

धारा 115ण का संशोधन।

(i) उपखंड (क) के अंत में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (ख) में, “इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे कर का, जो इस धारा के अधीन संदेय है, संदाय किया है :” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115प में,—

धारा 115प का संशोधन।

(i) 1 अप्रैल, 2013 से,—

(क) उपधारा (1) में, “द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती,” शब्दों के स्थान पर, “को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती,” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) “का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को” शब्दों के स्थान पर, “उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय की बाबत कर के लिए दायी है,” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “दौरान आय की प्रकृति” शब्दों के स्थान पर, “दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) “संदत्त आय” शब्दों के स्थान पर, “संदत्त या जमा की गई आय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “ऐसी आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) “उद्भूत हुई हो” शब्दों के स्थान पर, “प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) किसी पूर्ववर्ष के दौरान जोखिम पूंजी उपक्रम में किए गए विनिधानों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या उसके पास नहीं की जाती है तो वह पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को, उक्त व्यक्ति के खाते में उसी अनुपात में जमा की गई समझी जाएगी, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय को, यदि उसे पूर्ववर्ष में संदत्त किया जाता, प्राप्त करने के लिए हकदार होता।”;

(ii) स्पष्टीकरण को, उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, 1 जुलाई, 2012 से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित किया गया है, उसके उक्त पूर्ववर्ष में उपगत या उद्भूत होने मद्दे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा उसको वस्तुतः संदत्त की जाती है।”।

धारा 115फछ का संशोधन

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ की उपधारा (3) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी, 1 अप्रैल, 2013 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सारणी

शुद्ध टनभार वाला अर्हक पोत	दैनिक टनभार आय की रकम	
(1)	(2)	
1,000 तक	प्रत्येक 100 टन के लिए 70 रु०	5
1,000 से अधिक, किन्तु 10,000 से अनधिक	700 रु० धन 1,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 53 रु०	
10,000 से अधिक, किन्तु 25,000 से अनधिक	5,470 रु० धन 10,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 42 रु०	10
25,000 से अधिक	11,770 रु० धन 25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 29 रु० ।”।	

धारा 139 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) में,—

(क) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निवासी है, जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा 15 नहीं की गई है और जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में कोई वित्तीय हित भी है) है या जिसे भारत के बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय या हानि की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी, नियत तारीख को या उससे पूर्व, प्रस्तुत करेगा ।”;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में,—

20

(i) खंड (क) में,—

(अ) “जहां” शब्द के पश्चात्, “खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती से भिन्न” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में, “खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

25

(ii) खंड (कक) में, “जो ऐसी कंपनी है, जो” के स्थान पर “जो” शब्द रखा जाएगा ।

धारा 140क का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (v) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के खंड (i) के उपखंड (ड) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

30

(iii) उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 35

“(1घ) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है वहां किसी विवरणी पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा,।”;

(ख) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी न्यास 40 या संस्था के मामले में किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपबंधों को प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे व्यक्ति के मामले में उस पूर्ववर्ष में लागू हो जाते हैं, चाहे ऐसे न्यास या संस्था को दिए गए अनुमोदन को या ऐसे न्यास या संस्था की बाबत जारी की गई अधिसूचना को वापस ले लिया गया हो या नहीं या विखंडित कर दिया गया हो या नहीं ।”।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 144खक का अंतःस्थापन ।
अर्थात् :—

- “144खक. (1) यदि निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि किसी ठहराव को अध्याय 10क के अर्थातर्गत किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करना और ऐसे ठहराव के परिणाम अवधारित करना आवश्यक है तो वह इस संबंध में आयुक्त को निर्देश कर सकेगा ।
- (2) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यदि उसकी यह राय है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है तो एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए निर्धारिती को आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देते हुए, जारी करेगा ।
- (3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे ।
- (4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, निर्धारिती के स्पष्टीकरण के प्रति समाधान नहीं होता है तो वह उस मामले में ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा ।
- (5) यदि आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाना है तो वह लिखित आदेश द्वारा उसकी संसूचना, निर्धारिती को एक प्रति के साथ, निर्धारण अधिकारी को देगा ।
- (6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने पर, ठहराव की अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा की बाबत, जिसके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट करना भी है, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी, ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे ।
- (7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो, यथास्थिति, निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।
- (8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने से पूर्व,—
- (i) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, आयुक्त को ऐसी और जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा ऐसी और जांच कराने तथा ऐसी जांच के परिणामों वाली रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ; या
- (ii) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; या
- (iii) निर्धारिती से ऐसा दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह इस प्रकार निदेश दे ।
- (9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।
- (10) उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा या उपधारा (3) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा और निर्धारण अधिकारी, निदेशों की प्राप्ति पर, निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।
- (11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा और उसके लिए उस मुद्दे पर सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में नए सिरे से निदेश लेना आवश्यक नहीं होगा ।
- (12) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण संबंधी कोई आदेश, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा, यदि किसी ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करते हुए उपधारा (6) या उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुसरण में अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं ।
- (13) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा निर्देश प्राप्त किया गया था, अंत से छह मास की अवधि के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(14) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक अनुमोदनकर्ता पैनल का गठन करेगा, जो तीन से अन्यून ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो आयुक्त और उससे ऊपर की पंक्ति के आय-कर प्राधिकारी हों ।

(15) बोर्ड, अनुमोदनकर्ता पैनल के दक्ष कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।”।

धारा 144ग का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,—

5

(क) उपधारा (4) में, “धारा 153 में” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 153 या धारा 153ख में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अक्टूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि परिवर्तन को वर्धित करने की 10 विवाद समाधान पैनल की शक्ति में प्रारूप आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा मामला पात्र निर्धारिती द्वारा उठाया गया था या नहीं, विचार करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी ।”;

(ग) उपधारा (13) में, “धारा 153 में”, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 153 या धारा 153ख में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अक्टूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ;

15

(घ) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(14क) इस धारा के उपबंध धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे ।”।

धारा 147 का संशोधन।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 147 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

20

“परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) के संबंध में कर से प्रभार्य कोई आय, किसी निर्धारण वर्ष के लिए, निर्धारण से छूट गई है ;”;

(ii) दूसरे परंतुक में, “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 2 में,—

25

(I) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(खक) जहां निर्धारिती किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके लिए उससे धारा 92ड के अधीन ऐसी अपेक्षा की गई थी;”;

(II) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति 30 (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है ।”;

(iv) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 4—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित उपबंध, 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।”।

35

धारा 149 का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 149 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, “खंड (ख)” शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, “या खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

40

“(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) कर से प्रभार्य ऐसी आय, निर्धारण से छूट नहीं गई है ।”;

(आ) उपधारा (3) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “छह वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंध, 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।”

5 63. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,—

धारा 153 का संशोधन।

(अ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) पहले परंतुक में, “1 अप्रैल, 2004 या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष को” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

10 (ख) दूसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15 ‘परंतु यह भी कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय के निर्धारण संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया जाता है, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

20 तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द रखे गए हों ;”

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) दूसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “, किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

25 (ख) तीसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30 ‘परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् की गई थी और कुल आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना करने संबंधी कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश,—

(i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया जाता है, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

35 वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे गए हों ;”

(iii) उपधारा (2क) में,—

(क) दूसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्”, अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

40 (ख) तीसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि जहां धारा 254 के अधीन आदेश, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके

पश्चात् प्राप्त किया जाता है, और कुल आय का नए सिरे से निर्धारण करने संबंधी कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश,—

(i) 1 जुलाई, 2012 से पूर्व किया जाता है, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

5

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द रखे गए हों ; ;

(आ) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) खंड (viii) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष” शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 10

“(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी ठहराव को अनुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ।”।

धारा 153क का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 153क की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 15 1 जुलाई, 2012 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को (उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण का दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन किया गया है) विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने 20 के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।”।

धारा 153ख का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में,—

(I) उपधारा (1) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) दूसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व” अंक 25 और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 30

“परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जुलाई, 2012 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश 35 उस तारीख के पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द रखे गए हों ।” ;

(iv) चौथे परंतुक में “1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के 40 दौरान” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती 45

वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

5 (i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

10 वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यक्ष के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से छत्तीस मास या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन उस अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से चौबीस मास की अवधि, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।”;

(II) स्पष्टीकरण में, —

(क) खंड (viii) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष” शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;

15 (ख) खंड (viii) के पश्चात्, और “अपवर्जित की जाएगी।” शब्दों के पूर्व, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

20 “(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ,”।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 153ग का संशोधन।

25 “परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा, ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत, ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण का उपशमन किया गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यक्ष की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।”।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 154 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

धारा 154 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30 “(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को संशोधित कर सकेगा ।”;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में, “निर्धारिती द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, “निर्धारिती” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, क्रमशः “निर्धारिती या कटौतीकर्ता” शब्द रखे जाएंगे ;

35 (घ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) जहां किसी ऐसे संशोधन का परिणाम निर्धारण को कम करना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता को देय हो।”;

40 (ङ) उपधारा (6) में “प्रतिदाय को घटाना है वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की निर्धारिती पर” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिदाय को घटाना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है, वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की निर्धारिती या कटौतीकर्ता पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (8) में “निर्धारिती द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा” शब्द रखे जाएंगे।

- धारा 156 का संशोधन। **68.** आय-कर अधिनियम की धारा 156 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जुलाई, 2012 से रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा संदाय की जाने वाली किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा।”
- धारा 193 का संशोधन। **69.** आय-कर अधिनियम की धारा 193 में, परंतुक के खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जुलाई, 2012 से रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(v) किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किसी डिबेंचर पर ऐसे किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, संदेय कोई ब्याज, यदि—
- (क) कंपनी द्वारा ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे डिबेंचर पर, यथास्थिति, संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसे ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की रकमों का योग पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और
- (ख) कंपनी द्वारा ऐसा ब्याज, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा संदत्त किया जाता है ;”।
- धारा 194ड का संशोधन। **70.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ड में, 1 जुलाई, 2012 से,—
- (क) “भाग लेने वाला भी है)” शब्दों और कोष्ठक के पश्चात्, “या किसी मनोरंजनकर्ता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।
- धारा 194ज का संशोधन। **71.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ज की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जुलाई, 2012 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(खक) किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या”।
- धारा 194ठक का संशोधन। **72.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के परंतुक में, “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख रुपए” शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे।
- नई धारा 194ठक का अंतःस्थापन। **73.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “194ठकक. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती है (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) जो किसी निवासी अंतरक को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के अंतरक के खाते में जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी स्थावर संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित होने की दशा में, पचास लाख रुपए से कम है या ऐसी स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित होने की दशा में, बीस लाख रुपए से कम है।
- (3) जहां किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण की बाबत स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को, उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए उस स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल समझा जाएगा।
- (4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ड) या उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में या उसमें किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित को अंतरित, समनुदेशित, सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित है और जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, वहां कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक अंतरिती इस धारा के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती का और इस प्रकार की गई कटौती की गई राशि का केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय का सबूत विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर देता है।
- (5) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है।
- स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
- (क) “कृषि भूमि” से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है, जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित भूमि नहीं है ;

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1908 का 16

(ख) “स्थावर संपत्ति” से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है;

(ग) “विनिर्दिष्ट क्षेत्र” से निम्नलिखित से मिलकर बना कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा—

- (i) बृहत्तर मुम्बई नगर बस्ती;
- (ii) दिल्ली नगर बस्ती ;
- 5 (iii) कोलकाता नगर बस्ती ;
- (iv) चेन्नई नगर बस्ती ;
- (v) हैदराबाद नगर बस्ती ;
- (vi) बंगलुरु नगर बस्ती ;
- (vii) अहमदाबाद नगर बस्ती ;
- 10 (viii) फरीदाबाद जिला ;
- (ix) गुडगांव जिला ;
- (x) गौतमबुद्धनगर जिला ;
- (xi) गाजियाबाद जिला ;
- (xii) गांधीनगर जिला ; और
- 15 (xiii) सिकन्दराबाद नगर ;

(घ) किसी नगर बस्ती से मिलकर बना क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर उस नगर बस्ती में सम्मिलित क्षेत्र होगा ।’।

नई धारा 194ठग
का अंतःस्थापन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कारबार में
लगी हुई भारतीय
कंपनी से ब्याज के
रूप में आय ।

- 20 ‘194ठग. (1) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज, विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा—

- 25 (i) उसके द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2015 के पूर्व किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी ऋण करार के अधीन भारत के बाहर किसी स्रोत से विदेशी करेंसी में उधार ली गई धनराशियों की बाबत ; और

(ii) उस सीमा तक, जिस तक ऐसा ब्याज इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा, ऋण और उसके प्रतिदाय के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित दर पर परिकलित ब्याज की रकम से अधिक नहीं है,

- 30 संदेय ब्याज के रूप में, आय होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) “विदेशी करेंसी” पद का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) 1999 का 42 में उसका है ;

(ख) “विनिर्दिष्ट कंपनी” से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के कारबार में लगी हुई है—

- 35 (i) विद्युत का उत्पादन या वितरण या पारेषण ; या
- (ii) वायुयान का प्रचालन ; या
- (iii) उर्वरक का विनिर्माण या उत्पादन ; या
- (iv) सड़क का, जिसके अंतर्गत पथ कर सड़क या पुल भी है, सन्निर्माण ; या
- (v) पत्तन का, जिसके अंतर्गत अंतरदेशीय पत्तन भी है, सन्निर्माण ; या
- 40 (vi) पोत प्रांगण में पोतों का सन्निर्माण ; या

(vii) बांध का सन्निर्माण ; या

(viii) धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (vii) में यथाविनिर्दिष्ट किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण ।'।

धारा 195 का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

5

(i) “किसी ब्याज का” शब्दों के स्थान पर, “किसी ब्याज का [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज नहीं हैं]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

10

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) का अनुपालन करने और उसके अधीन कटौती करने की बाध्यता सभी व्यक्तियों, निवासी या अनिवासी, को लागू होगी और सदैव लागू हुई समझी जाएगी तथा विस्तारित होगी और सदैव विस्तारित की गई समझी जाएगी, चाहे अनिवासी व्यक्ति का—

(i) भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारोबारी संबंध ; या

15

(ii) भारत में किसी प्रकार की किसी रीति में कोई अन्य उपस्थिति,

हो या नहीं ।”;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“ (7) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों या मामलों का कोई वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती, राशि के अनुपात पर, की जाएगी, जो इस प्रकार प्रभार्य है ।”।

20

धारा 197क का संशोधन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 197क की उपधारा (1ग) में, “पैंसठ वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “साठ वर्ष” शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।

25

धारा 201 का संशोधन।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में,—

(अ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30

“परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस निवासी ने—

(i) धारा 139 के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

35

(ii) आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है ; और

(iii) ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है :”;

(ख) परंतुक में “परंतु” शब्द के स्थान पर, “परंतु यह और कि” शब्द रखे जाएंगे ;

40

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी

निर्धारित नहीं समझा जाता है, तो खंड (i) के अधीन ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे निवासी द्वारा आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा।”;

(आ) उपधारा (3) के खंड (ii) में, “चार वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह वर्ष” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2010 से रखे गए समझे जाएंगे ;

5 (इ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लेखापाल” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है।”।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में, खंड (iii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित खंड 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

धारा 204 का संशोधन।

10 “(iv) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य, किसी राशि के, यथास्थिति, जमा की या संदाय की दशा में, आहरण और संवितरण अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, चाहे जो भी नाम हो, जो, यथास्थिति, ऐसी राशि को जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।”।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में, 1 जुलाई, 2012 से,—

धारा 206ग का संशोधन।

15 (क) उपधारा (1) में, सारणी में, क्रम संख्यांक (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र०सं०	माल की प्रकृति	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
“(vii)	खनिज, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हैं	एक प्रतिशत।”;

20 (ख) उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है और सोना-चांदी या आभूषणों के विक्रयार्थ प्रतिफल के रूप में नकद में कोई रकम प्राप्त करता है, नकद में ऐसी रकम प्राप्त करने के समय क्रेता से उस दशा में आय-कर के रूप में विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा, यदि विक्रय प्रतिफल दो लाख रुपए से अधिक हो जाता है।”;

25 (ग) उपधारा (2) में, “या उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या उपधारा (1घ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में, “या उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या उपधारा (1घ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (6क) में,—

30 (अ) परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी, उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने—

35

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की ऐसी विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है ; और

(iii) आय की ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है ;”;

40

(आ) विद्यमान परंतुक में “परंतु” शब्द के स्थान पर, “परंतु यह और कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यदि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी, उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है,

45

तो ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा।”;

(छ) उपधारा (9) में, “या उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “या उपधारा (1घ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ज) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में,—

5

(I) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(क) “लेखापाल” का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(कक) “क्रेता” से,—

(i) उपधारा (1) के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय में, नीलामी, निविदा के रूप में या किसी अन्य ढंग से, उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अथवा किसी ऐसे माल को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्राप्त करता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(अ) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार और कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, किसी विदेशी राज्य का कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधि तथा कोई क्लब ; या

(आ) उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के फुटकर विक्रय में कोई क्रेता;

(ii) उपधारा (1घ) के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय में उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अभिप्राप्त करता है ;

(कख) “आभूषण” का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण में उसका है ;’;

(II) खंड (ग) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1घ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 207 का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 207 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) के उपबंध भारत में ऐसे किसी व्यक्ति निवासी को लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसकी “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय नहीं है ; और

(ख) जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का है।”।

धारा 209 का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु अग्रिम कर संबंधी दायित्व की संगणना करने के लिए, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की उतनी पूर्वोक्त रकम घटाई नहीं जाएगी, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य होती, यदि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर की कटौती के बिना ऐसी आय का संदाय या उसे जमा कर दिया है या वह ऐसे कर का संग्रहण किए बिना कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या विकलित कर दी गई है।”।

धारा 234क का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) के खंड (vi) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 1 के खंड (v) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ग का संशोधन।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के खंड (v) में, “धारा 115जकक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 115जघ” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234घ का संशोधन।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 234घ में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध 1 जून, 2003 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में भी लागू होंगे, यदि उस निर्धारण वर्ष की बाबत कार्यवाहियां उक्त तारीख के पश्चात् पूरी हो जाती हैं।”।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 234घ के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और धारा, 1 जुलाई, 2012 से नई धारा 234ड अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— का अंतःस्थापन।

“छ—कतिपय दशाओं में फीस का उद्ग्रहण

- 234ड (1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि, का फीस के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा। विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रमों के लिए फीस।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहण करने योग्य कर की रकम से अधिक नहीं होगी।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार कोई विवरण परिदत्त करने से या परिदत्त कराने से पूर्व संदत्त की जाएगी।
- (4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है।”।
87. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) के परंतुक में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, “पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः “तलाशी की तारीख को” शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे। धारा 245ग का संशोधन।
88. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (2) में, “दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए की फीस या ऐसी फीस होगी, जो इस निमित्त विहित की जाए, जो भी उच्चतर हो” शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे। धारा 245थ का संशोधन।
89. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,— धारा 246क का संशोधन।
- (i) “कोई निर्धारिती जो” शब्दों के स्थान पर “कोई निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता, जो” शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (क) में,—
- (I) “धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (1ख) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर “धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (1ख) अथवा धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;
- (II) “विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय” शब्दों के स्थान पर, “[विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;
- (iii) खंड (ख) में, “विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय” शब्दों के स्थान पर, “[विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;
- (iv) खंड (खक) में,—
- (I) “धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश” शब्दों के स्थान पर, “[सिवाय विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित किसी आदेश के]” कोष्ठक और शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे;
- (II) “विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय” शब्दों के स्थान पर, “विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;
- (v) खंड (खक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(खख) धारा 92गघ की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश ;”;
- (vi) खंड (ग) में, “उक्त धाराओं में से किसी के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “, सिवाय जहां वह धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत है,” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (vii) खंड (ज) के उपखंड (आ) में “धारा 271ककक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “, धारा 271ककख” शब्द, अंक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे।

धारा 253 का संशोधन।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 253 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में, “धारा 147 के अधीन” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5

“(ड) धारा 144खक की उपधारा (12) में यथानिर्दिष्ट आयुक्त के अनुमोदन से धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश ।”;

(आ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 10

“(2क) आयुक्त, यदि वह धारा 144ग की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी आक्षेप की बाबत धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी निदेश के प्रति आक्षेप करता है, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा करते हुए आदेश पारित किया है, निर्धारण अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।”;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3क) उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख के, जिसको धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।”;

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 20

“(4) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि, यथास्थिति, उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन अपील दूसरे पक्षकार द्वारा की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी (विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में) या उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध विहित रीति में सत्यापित प्रत्याक्षेपों का एक ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटारा जाएगा मानो वह उपधारा (3) या उपधारा (3क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई कोई अपील हो ।”। 25

धारा 254 का संशोधन।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में, “उपधारा (1) या उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। 30

धारा 271 का संशोधन।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 7 में “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 271कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 271कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

“271कक. धारा 271 या धारा 271खक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी 35 अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत,—

(i) धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित कोई जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है ;

(ii) ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट देने में, जिसको देना उससे अपेक्षित है, असफल रहता है ; या

(iii) गलत जानकारी या दस्तावेज बनाए रखता है या प्रस्तुत करता है, 40

तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।”।

धारा 271कक का संशोधन।

94. इस अधिनियम की धारा 93 द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित की गई आय-कर अधिनियम की धारा 271कक में, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, “अंतरराष्ट्रीय देशी संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे । 45

धारा 271ककक का संशोधन।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककक की उपधारा (1) में, “1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात् “किन्तु 1 जुलाई, 2012 के पूर्व” अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 271ककख का अंतःस्थापन।

‘271ककख. (1) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारित उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में निम्नलिखित का संदाय करेगा,—

जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति।

(क) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि ऐसा निर्धारित—

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और वह रीति विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है ;

10 (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी ; और

(iii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,—

(अ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ;

(आ) उसने विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए प्रस्तुत करता है ;

15 (ख) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के बीस प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि ऐसा निर्धारित—

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार नहीं करता है ; और

(ii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,—

(अ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में ऐसी आय की घोषणा करता है ; और

20 (आ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ;

(ग) ऐसी राशि का, जो विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, किंतु नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि वह खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती है ।

(2) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति, निर्धारित पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

25 (3) धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट तारीख” से, यथास्थिति, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख या वह तारीख, जिसको आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 153क के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, अभिप्रेत है ;

30 (ख) “विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष” से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है,—

(i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारित ने उक्त तलाशी की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है ; या

(ii) जिसमें तलाशी ली गई थी ;

35 (ग) “अप्रकटित आय” से अभिप्रेत है,—

(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियों में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के अनुक्रम में पाए जाते हैं, पूर्णतः या भागतः प्रदर्शित, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे,—

40 (अ) तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है ; या

(आ) तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रदर्शित, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता यदि तलाशी न ली गई होती ।’

45 97. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ में, “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 271छ का संशोधन।

नई धारा 271ज का अंतःस्थापन।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विवरण, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

“271ज. (1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, यदि वह—

(क) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोई 5 विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है ; या

(ख) उस विवरण में, जो धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन परिदत्त किया जाना या कराया जाना अपेक्षित है, अशुद्ध जानकारी प्रस्तुत करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि की होगी, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी । 10

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति ऐसी दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी, यदि वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि काटे गए या संगृहीत कर का ऐसी फीस और ब्याज के साथ, यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात् उसने धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण को, ऐसे विवरण को परिदत्त करने या परिदत्त कराने के लिए विहित समय से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, परिदत्त 15 कर दिया था या परिदत्त करा दिया था ।

(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।”।

धारा 272क का संशोधन।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 जुलाई, 2012 20 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि खंड (ट) में निर्दिष्ट असफलता के लिए इस धारा के अधीन कोई शास्ति उस दशा में उद्गृहीत नहीं होगी, यदि ऐसी असफलता धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण के संबंध में है, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।”। 25

धारा 273ख का संशोधन।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, “धारा 271छ”, शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, “धारा 271ज” शब्द, अंक और अक्षर, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 276ग का संशोधन।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 276ग में, 1 जुलाई, 2012 से—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (i) में “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ; 30

(ख) खंड (ii) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 276गग का संशोधन।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे । 35

धारा 277 का संशोधन।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 277 में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 277क का संशोधन।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 277क में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द 1 जुलाई, 2012 से, रखे जाएंगे । 40

धारा 278 का संशोधन।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 278 में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280ग और धारा 280घ का अंतःस्थापन ।

106. आय-कर अधिनियम के अध्याय 22 में, धारा 280 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— 45

विशेष न्यायालय।

“280क. (1) केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के

अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

5 **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, “उच्च न्यायालय” से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे पदाभिधान से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था।

1974 का 2 (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा, जिससे अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए।

1974 का 2 280ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध।

10 (क) इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा यदि, यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो, ही विचारणीय होगा, जिसमें अपराध किया गया है :

परंतु धारा 292 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम कोई न्यायालय,—

15 (i) जिसे इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, उसके समक्ष के अपराधों का या ऐसे पदाभिधान के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करता रहेगा ;

(ii) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित नहीं किया गया है, उसके समक्ष लंबित ऐसे अपराधों का, उनका निपटारा किए जाने तक, विचारण जारी रख सकेगा ;

(ख) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है।

1974 का 2 20 280ग. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, इस अध्याय के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय किसी अपराध का विचारण, समन मामले के रूप में करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जैसे वे समन मामले के विचारण की दशा में लागू होते हैं,

अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण।

1974 का 2 25 280घ. (1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानतों या बंधपत्रों के बारे में उपबंध भी हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होना।

परंतु केंद्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकेगी।

30 (2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा वाले किसी अधिवक्ता के रूप में, सात वर्ष से अन्यून के लिए व्यवसाय में नहीं रहा है।

1974 का 2 (3) इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थात्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंधों का तदनुसार प्रभाव होगा।”।

35 107. आय-कर अधिनियम की धारा 292ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1976 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 292गग का अंतःस्थापन।

“292गग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में प्राधिकार और निर्धारण।

(i) धारा 132 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक् रूप से प्राधिकार जारी करना या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करना आवश्यक नहीं होगा ;

40 (ii) जहां धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों का नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, तो उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा पर एक से अधिक व्यक्तियों के ऐसे नामों के वर्णन का यह अर्थ लगाया गया नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के नाम में जारी किया गया था।

45 (2) इस बात के होते हुए भी कि धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा उसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, वहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक्कृत किया जाएगा।”।

108. आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, “धारा 139 की उपधारा (1ग)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के धारा 296 का संशोधन। पश्चात्, “या धारा 153क की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या धारा 153ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।